मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

पंचम तल, पिकप भवन विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 10030 / मा0अनु0(7) / सूचना–406 / 2013 दिनांक 31 / 03 / 2016

सेवा में

श्री गौरव अग्रवाल,
एडवोकेट,
मा0 उच्चतम् न्यायालय,
ई–108, ग्रेटर कैलाश पार्ट–।।,
निकट आर्य समाज मन्दिर,
नई दिल्ली–110048.

विषयः मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन सिविल संख्या–406 / 2013 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 19.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत् रिट याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके अनुपालन में बिन्दुवार सूचना निम्नवत् हैः–

बिन्दु संख्या 01 – (The Various reasons for unnatural deaths in prisons generally [or especially in jails under your jurisdiction]).

उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों की विगत् 03 वर्षों में हुई मृत्यु का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	वर्ष	औसत बंदी संख्या	सामान्य मृत्यु	हत्या / पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु	आत्महत्या	उपद्रव के दौरान मृत्यु	योग	मृत्यु दर (प्रति हजार प्रति वर्ष)
1	2013	82834	338	5	15	--	358	4.32
2	2014	86092	315	6	17	1	339	3.93
3	2015	91232	326	8	11	2	347	3.80

बिन्दु संख्या 02 – (The measures to prevent forcible unnatural deaths and the procedure prescribed and the action to be taken in case of such unnatural deaths).

(i) कारागार में प्रवेश के समय जेल चिकित्सक द्वारा मा0 आयोग के निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। कारागार में निरूद्धि के पूर्व से बीमार बंदियों को उनके चिकित्सक द्वारा संदर्भित दवाओ का पुनः परीक्षण कर जेल चिकित्सक द्वारा ऐसे बंदियों का रक्त / बलगम का नमूना जिला अस्पताल भेजकर आवश्यक जांच / परीक्षण कराया जाता है। रक्त / बलगम के जांच रिपोर्ट के अनुसार कारागार में बंदी का उपचार जेल चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

(ii) कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्धि के दौरान प्रत्येक मृत्यु प्रकरण की सी0आर0पी0सी0 की धारा–176 में निहित प्राविधानों के अनुसार न्यायिक जांच करायी जाती है। न्यायिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जाती है।

क्रमशः.....2.

बिन्दु संख्या 03 — (Most importantly what directions can Hon'ble Supreme Court be requested to give with a view to reduce the number of unnatural deaths in the prison).

(a) प्रदेश की जेलों में कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विचाराधीन बंदियों को न्यायालय से चिकित्सीय आधार पर जमानत स्वीकृत किये जाने के संबंध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश की विभिन्न कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों की कैंसर एवं अन्य गम्भीर बीमारी से जेल अभिरक्षा में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से उचित होगा कि ऐसे गम्भीर रोग से ग्रसित सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को सम्बन्धित न्यायालय से जमानत पर रिहा किया जाये एवं समयपूर्व रिहाई पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जाना समीचीन होगा।

(b) गम्भीर रोग से ग्रसित बंदियों को उच्च चिकित्सा संस्थान/विशेष उपचार हेतु समयान्तर्गत संदर्भित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल/सुरक्षा बल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

(c) बंदियों के समुचित उपचार हेतु प्रदेश की समस्त कारागारों में पैथोलाजी एवं एक्स–रे लैब स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

(d) प्रदेश की विभिन्न कारागारों मे निरूद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाये जाने के निमित्त 11 महिला चिकित्साधिकारी एवं 68 महिला नर्सों के साथ अन्य पदों के सृजन की कार्यवाही प्रचलित है। फार्मासिस्ट के 56 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–48607/अध–2(5)16–12/पद सृजन/2013, दिनांक 01.12.2015 (छायाप्रति संलग्न) तथा अ0शा0 पत्र संख्या–2468/अध–2(5)/28/भाग–2/टी0सी0/09/14, दिनांक 25.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) व अनुस्मारक पत्र सं0–4136/अध–2(5)58/चिकि0स्था0/टीसी/2015–16, दिनांक 12.02.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुरोध किया गया है, जिस पर निर्णय विचाराधीन है। चिकित्सक तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत सभी पदों पर तैनाती होने से बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था में प्रभावशाली सुधार हो सकेगा।

(d) फार्म–ए अथवा नामिनल रोल दोनों आधारों पर समयपूर्व एवं कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विचाराधीन बंदियों को न्यायालय से चिकित्सीय आधार पर जमानत स्वीकृत होने से बंदियों की रिहाई से कारागारों में ओवर क्राउडिंग से कुछ निजात मिल सकेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0 संख्याः 10030 (1)/मा0अनु0(7)/सूचना–406/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना की प्रति संलग्नकों सहित सम्बन्धित एडवोकेट आन रिकार्ड को व्यक्तिगत् सम्पर्क स्थापित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(संलग्नक–यथोपरि)

31/3/16

(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।